


19.1.2021

वकील फरीकेन उपस्थित तपकी कायममुकाद
11/1 + 11/3 बाकी वकील दाय अन्नी तक
भवे कराई गई है। अवधि दावा वर्ष 2012
ले सम्पिट है। अतः पत्रावली आदमलकमीड
09 R 5 CPC के तहत रकारिज किया
जाता है। पत्रावली फेलल शुमार होकर
गम्बर ले कम होकर बाद तक वकील
दारिवल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

